न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–प्रथम, औरैया।

उपस्थितः–श्री राम नेत, एच0जे0एस0

JO CODE.N0. UP6379

CNR.NO.UPAU010001652018

सत्र परीक्षण संख्या–04/2018

राज्य प्रति मोहित सोनी।

अपराध संख्या 271/2017

धारा 376, 328 भा0दं0सं0

थाना बिधूना जनपद औरैया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 कागज सं0–18ख तथा आपत्ति 19खः–

दिनांक–28.01.2020

आज पत्रावली आदेशार्थ नियत है। उभय पक्षकार को पिछली तिथि दिनांक 24.01.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 कागज सं0–18ख तथा आपत्ति 19ख पर सुना गया था।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 कागज सं0–18ख प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में साक्षी सं0–1 रश्मि की मुख्य परीक्षा अंकित की जा चुकी है, जो मुकदमें की सूचनाकर्ती व पीड़िता है। वादिनी मुकदमा ने अपनी एफ0आई0आर0 व बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 तथा धारा 164 दं0प्र0सं0 में प्रस्तावित अभियुक्तगण के नाम बताये व अंकित कराये थे और साक्ष्य के रूप में मुख्य बयान में भी सहयोगी के रूप में अभियुक्तगण द्वारा भूमिका अदा की गई है। जिस कारण अभियुक्तगण रमेश वर्मा, सचिन वर्मा, मीना देवी व राजकुमार को भी विचारण हेतु तलब किया जाना न्याय की दृष्टि से अति आवश्यक है। अतः अभियुक्तगण रमेश वर्मा, सचिन वर्मा, मीना देवी व राजकुमार को विचारण हेतु तलब करने की कृपा की जाये।

मामले के वर्तमान अभियुक्त मोहिन सोनी की तरफ से आपत्ति 19ख प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रस्तुत मामले में अभियुक्त है। अभियोजन ने जिन व्यक्तियों को प्रस्तावित अभियुक्तगण बनाया है, उसमें राजकुमार का नाम प्रथम सूचना में नहीं है और न ही धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान में है और न ही डॉक्टर के समक्ष दिये गये बयान में है। प्रस्तावित अभियुक्तगण प्रार्थी के माता–पिता, फूफा तथा जीजा हैं। फूफा रमेश वर्मा बिधूना में नहीं, बल्कि दिबियापुर में रहते हैं और जीजा सचिन वर्मा फर्रूखाबाद में रहते हैं। पीड़िता पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन की है कि पीड़िता के साथ मेरे घर पर घरवालों की उपस्थिति में मेरे द्वारा बलात्कार किया जाता था, जो स्वयं सिद्ध करता है कि पीड़िता द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है। पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपराध का सहयोग करने का कथन किया

गया है, जो झूठा है। घर के लोग इस तरह के अपराध में किसी प्रकार से संभावित नहीं हो सकते हैं। शीर्फ नाजायज बसूली व परेशान करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

मामले की पीड़िता रश्मि सोनी बतौर साक्षी पी0डब्लू0–1 अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांकित 18.12.2019 में यह कथन की है कि– ''मोहित सोनी मुहल्ला गांधीनगर बिधूना के रहने वाले हैं। ये मेरे मुहल्ले में आते जाते थे। हाजिर अदालत मुल्जिम मोहित सोनी से मेरी जान पहचान हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद हम लोगों का मिलना जुलना व फोन पर बात होना शुरू हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मैंने दिनांक 01.07.2017 को एस0पी0 औरैया को प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर रिपोर्ट दर्ज हुयी थी। इससे पहले थाना बिधूना रिपोर्ट लिखाने गयी थी, पर लिखी नहीं गई थी। रिपोर्ट लिखाने से छः माह पूर्व मोहित सोनी ने मुझे अपने घर बुलाया था। जब मैं घर पहुँची तो मुझे चाय बनाकर पिलायी। चाय में कुछ मिलाकर पिलाया था। जिससे मुझे बेहोशी आ गई थी। इसके बाद इन्होंने मेरे साथ मेरी बिना मर्जी के बलात्कार किया। जब मैंने मोहित सोनी से इस बारे में कहा तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम शादी कर लेंगे। मैंने भी सोचा कि एक ही बिरादरी के हैं शादी कर लेंगे। उसके बाद अभियुक्त मोहित सोनी शादी का झासा देकर मुझे बार–बार बुलाते रहे और मेरे साथ गलत काम करते रहे। शादी करने वाली बात मैंने अपने घरवालों को बतायी थी। मेरे घर वाले अभियुक्त के घर शादी की बात करने गये तो उन्होंने शगुन ले लिया था और रिपोर्ट लिखाने से पन्द्रह दिन पहले मुझे मालूम चला कि मोहित सोनी दूसरी जगह शादी कर रहा है। तब मैं व मेरे घर वाले अभियुक्त के घर बात करने गये थे, तो मोहित ने कहा कि हम तुम से शादी नहीं करेंगे। ये सब तो मजे के लिये किया था। मेरी दूसरी जगह शादी तय हो गई है। मैं वहीं शादी करूंगा। और धमकी देते हुए कहा कि तेरे साथ सम्बन्ध मैंने शौकिया बनाये थे। जब बार–बार अभियुक्त मोहित मुझे घर बुलाता था और मेरे साथ सम्बन्ध बनाता था और शादी का झासा देने में राजकुमार, मीना देवी, रमेश वर्मा और सचिन वर्मा भी सहयोग करते थे। मेरे व मोहित सोनी के बीच जो सम्बन्ध बनते थे। उनकी जानकारी इन लोगों को रहती थीं। तब इन लोगों ने भी कहा था कि तुम्हारी शादी मोहित से करवा देंगे। पत्रावली में शामिल कागज सं0–4क/4 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है, जो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया को दिया था। जिस पर मेरी एफ0आई0आर0 थाने पर लिखी गई थी। यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करती हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दूसरे दिन दिनांक 02.07.2017 को महिला पुलिस ने मेरा बयान लिया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0–11क/1 बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 साक्षी को दिखाया व पढ़ाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही बयान मैंने पुलिस को दिया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करती हूँ। इसके बाद दिनांक 04.07.2017 को जिला अस्पताल चिचौली में पुलिस ने मेरा डॉक्टरी परीक्षण कराया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0–7क/1 लगायत 7क/8 डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट है।

जिसकी पेपर सं0—7क/3 पर लिखी इबारत मैंने अपने साथ घटी घटना के सम्बन्ध में स्वयं लिखी थी एवं उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किये थे। मैं अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करती हूँ। पुलिस ने मेरा मजिस्ट्रेट महोदय के सामने न्यायालय में बयान कराया था। तलबशुदा बयान धारा—164 दं0प्र0सं0 न्यायालय के आदेश से खोला गया। पत्रावली में शामिल कागज सं0—14क बयान धारा—164 दं0प्र0सं0 कुमारी रश्मि सोनी साक्षी को दिखाया व पढ़ाया गया तो उसने कहा कि यह बयान मैंने मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था और उस पर लगी अपनी फोटो व हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क—2 डाला गया। इसके बाद पुनः पुलिस ने दिनांक 24.09.2017 को पुनः मेरे घर आकर मेरा बयान लिया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0—11क/2 साक्षी को दिखाया व पढ़ाया गया तो उसने कहा कि यह बयान मैंने पुलिस को दिया था। मेरे हस्ताक्षर हैं, जो मैंने किये थे। मैं अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करती हूँ।

X X X X

Cross by deffence

इसी स्तर पर वादिनी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किये जाने के कारण जिरह स्थगित की गई।

X X X X

अभियोजन की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि— अभियुक्त मोहित सोनी, पीड़िता रश्मि सोनी से दोस्ती करके उससे मोबाइल पर बातचीत करने लगा और बाद में उसे अपने घर बुलाने लगा। अभियुक्त तथा पीड़िता के बीच में दोस्ती तथा मोबाइल पर बातचीत करने का शिलशिला कई साल तक चलता रहा। एफ0आई0आर0 लिखे जाने की तिथि से लगभग छः माह पूर्व अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और उसे चाय में नशीला पदार्थ डालकर चाय पीलाने के बाद जब पीड़िता लगभग बेहोश हो गई तब उसके साथ बलात्कार किया। बाद में होश में आने पर जब पीड़िता ने आपत्ति की तो अभियुक्त ने शादी करने का आश्वासन दिया तो पीड़िता शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन अभियुक्त शादी के झूठे आश्वासन दे—दे कर पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार करता रहा, जिसमें अभियुक्त के पिता राजकुमार, माता मीना देवी, फूफा रमेश वर्मा और बड़े जीजा सचिन वर्मा अभियुक्त का सहयोग करते रहे। अतः सहयोग करने के कारण उक्त राजकुमार, मीना देवी, रमेश वर्मा एवं सचिन वर्मा को मामले में बतौर अतिरिक्त अभियुक्त तलब करके उनके विरूद्ध विचारण करके उन्हें भी दण्डित किया जाये।

अभियुक्त की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि— पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के पिता राजकुमार के नाम का उल्लेख नहीं किया है तथा पुलिस को दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 में भी पीड़िता ने अभियुक्त के पिता राजकुमार के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। पीड़िता अपने बयान अन्तर्गत धारा—164 दं0प्र0सं0 में अभियुक्त के ''मम्मी—पापा'' जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, लेकिन उक्त बयान में भी अभियुक्त राजकुमार के नाम

का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। जहॉ तक शेष तीन प्रस्तावित अभियुक्तगण– अभियुक्त की मम्मी मीना वर्मा, अभियुक्त के फूफा रमेश वर्मा तथा अभियुक्त के जीजा सचिन वर्मा का प्रश्न है, इनमें अभियुक्त के फूफा रमेश वर्मा बिधूना से लगभग 20 किलोमीटर दूर दिबियापुर में स्थाई निवास करते हैं तथा जीजा सचिन वर्मा जनपद औरैया से लगभग 100 किलोमीटर दूर अन्य जनपद फर्रूखाबाद में निवास करते हैं। रमेश वर्मा तथा सचिन वर्मा दोनों अभियुक्त के रिश्तेदार हैं, वे अभियुक्त के घर पर नहीं रहते। अभियुक्त की माता मीना देवी तथा अभियुक्त के पिता राजकुमार घर पर रहते हैं, लेकिन उन पर बलात्कार में सहयोग करने का जो आरोप लगाया गया है, वह न केवल निराधार है, बल्कि भारत जैसे देश में माता–पिता के द्वारा बेटे को बलात्कार करने में सहयोग देने जैसी बात अत्यंत अस्वाभाविक एवं अव्यावहारिक प्रतीत होती है। इसे प्रथम दृष्टया भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित अभियुक्तगण को मात्र हैरान एवं परेशान करने के लिए तथा उन पर अनुचित दबाव बनाये जाने के लिए अभियोजन की तरफ से यह प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है और जो अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के प्रकाश में मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया तो यह पाया गया कि पीड़िता द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराते समय पुलिस को दी गई तहरीर तथा बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 में प्रस्तावित अभियुक्त राजकुमार के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–164 दं0प्र0सं0 में भी प्रस्तावित अभियुक्त राजकुमार के स्पष्ट नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन बयान में अभियुक्त के पिता जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की तरफ से एक मात्र साक्षी पीड़िता रश्मि सोनी बतौर पी0डब्लू0–1 परीक्षित हुई है, जिसकी मुख्य परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, किन्तु प्रतिपरीक्षा के स्तर पर प्रतिपरीक्षा नहीं करवायी गई और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर दिया गया। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार की है कि पीड़िता तथा अभियुक्त मोहित सोनी एक दूसरे को पसंद करते थे। उनकी आपस में जान पहचान थी, उनका आपस में मिलना जुलना होता था तथा फोन पर भी बातचीत होती थी। एक दूसरे को पसंद करना, आपस में बातचीत करना तथा फोन पर बातचीत करने में प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्त का सहयोग किये जाने के सम्बन्ध में पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कोई कथन नहीं किया है। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह जरूर कहा है कि मुकदमा लिखे जाने की तिथि से लगभग छः माह पहले अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर उसे चाय में कोई वस्तु डालकर उसे पीलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया और बाद में जब पीड़िता को होश आयी, तो उसने आपत्ति प्रकट की जिस पर अभियुक्त ने कहा कि वे दोनों एक ही बिरादरी के हैं। अभियुक्त पीड़िता से शादी कर लेगा तो पीड़िता को विश्वास हो गया। पीड़िता ने बयान में यह भी कहा है कि पीड़िता अभियुक्त के झासे में आ गई। अभियुक्त ने उसे शादी का झासा देकर उसके साथ बलात्कार करने लगा। बलात्कार करने के लिए अभियुक्त

जब पीड़िता को अपने घर बुलाता था, तो इसकी जानकारी प्रस्तावित अभियुक्तगण को भी रहती थी तथा वे लोग अभियुक्त को झासा देकर बलात्कार करने में सहयोग करते थे। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तावित अभियुक्तगण पर केवल यह आरोप लगाया है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण अभियुक्त द्वारा उसे शादी का झासा देने में सहयोग करते थे तथा उसके और अभियुक्त के बीच जो सम्बन्ध बनते थे, उसकी प्रस्तावित अभियुक्तगण को भी जानकारी रहती थी, पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहे गये इसी कथन के आधार पर अभियोजन की तरफ से प्रस्तावित अभियुक्तगण को तलब करने पर जोर दिया गया है। अभियोजन की सम्पूर्ण बहस पीड़िता के इसी बयान पर आधारित है। पीड़िता के इस कथन को अभियुक्त की तरफ से झूठा एवं मनगढंत बताते हुये यह कहा गया है कि पीड़िता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त और पीड़िता ने आपस में स्वयं दोस्ती की और स्वयं मोबाइल पर बातचीत करना प्रारम्भ किये। उनके बीच दोस्ती कराने में प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा कोई सहयोग किया गया हो, ऐसा कोई कथन पीड़िता की तरफ से नहीं किया गया है। अभियुक्त की तरफ से इस तर्क पर भी बल दिया गया है कि जब पीड़िता और अभियुक्त आपस में दोस्त हो गये और मोबाइल पर बातचीत होने लगी, दोनों वयस्क थे। वे अपना अच्छा बुरा समझने में सक्षम थे, उन दोनों के बीच में यदि कोई शारीरिक सम्बन्ध बना तो वह कब बना ? और कहॉ बना ? इसकी प्रस्तावित अभियुक्तगण को कोई जानकारी नहीं है। प्रस्तावित अभियुक्तगण रमेश वर्मा तथा सचिन वर्मा, अभियुक्त मोहित सोनी के रिश्तेदार हैं। पीड़िता अभियुक्त मोहित सोनी के घर कब आती थी ? कब जाती थी ? उनके बीच क्या घटित होता था ? इसकी जानकारी प्रस्तावित अभियुक्तगण रमेश वर्मा तथा सचिन वर्मा को कैसे हो सकती है ? क्योंकि वे दोनों बिधूना के निवासी न होकर कमशः दिबियापुर एवं फर्रूखाबाद के निवासी हैं, जो बिधूना से काफी दूर स्थित है। बिधूना एक छोटा सा कस्बा है। अभियुक्त मोहित सोनी के माता–पिता बिधूना में ही एक अति सामान्य पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले हैं। बिधूना जैसे छोटे कस्बे में रहने वाले माता–पिता अपने बेटे अभियुक्त मोहित सोनी को पीड़िता के साथ बलात्कार करने में सहयोग करते रहे हों, ऐसा भारतीय परिवेश में प्रथम दृष्टया सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी अतिरिक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 तलब करने के लिए साक्षियों की प्रतिपरीक्षा आवश्यक नहीं है। यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस अभियुक्त को तलब किया जाना है, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित ही रहा हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है या यदि नामित हैं, किन्तु आरोप पत्र में उन्हें बतौर अभियुक्त न रखा गया हो, को भी धारा–319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत तलब किया जा सकता है, लेकिन उन्हें तलब करते समय न्यायालय को पर्याप्त मात्रा में संतुष्ट एवं सावधान होना आवश्यक है। मात्र प्रथम दृष्टया की सीमा तक संतुष्ट होने पर किसी भी व्यक्ति को बतौर अतिरिक्त अभियुक्त धारा–319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत तलब नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अपने इस विवेकाधिकार का प्रयोग अत्यंत सावधानी एवं सोच समझ के

साथ करना चाहिए। मूलतः प्रारम्भिक स्तर पर तलब होने वाले अभियुक्त की तलबी के लिए जितनी सन्तुष्टि की आवश्यकता पड़ती है, पश्चात्वर्ती अभियुक्तों की तलबी के समय उससे अधिक सन्तुष्टि की आवश्यकता पड़ती है। यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरोप की रचना के समय सन्तुष्टि की जितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, अतिरिक्त अभियुक्त की तलबी के समय उससे अधिक सन्तुष्टि की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। धारा–319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय का क्षेत्राधिकार विवेकाधीन एवं असाधारण है, जिसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा केवल उन्हीं परिस्थितियों में करना चाहिए, जिनमें ऐसा करना न्यायहित में आवश्यक हो।

निर्णयज् विधि व्यवस्था **Hardeep singh Vs. State of Punjab 2014 (4) CCSC 2234 (SC)** के पैरा 98 वें में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि Power under Section 319, Cr.P.C is a discretionary and an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because the Magistrate or the Sessions Judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person from the evidence led before the court that such power should be exercised and not in a casual and cavalier manner. इसी निर्णय के पैरा 99 वे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि– It requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is **more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the Court should refrain from exercising power under Section 319, Cr.P.C.** In Section 319, Cr.P.C. the purpose of providing if 'it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence is clear from the words "for which such person could be trited together with the accused." The words used are not 'for which such person could be convicted.' Therefore, no scope for the Court acting under Section 319, Cr.P.C. to form any opinion as to the guilt of the accused. इसी निर्णयज् विधि व्यवस्था के पैरा 110 में यह भी उल्लिखित गया है कि– Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial - therefore the degree of satisfaction for summoning the accused (original and

subsequent) has to be diffefent.

उपरोक्त निर्णयज् विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत से यह सुस्थापित हो चुका है कि किसी भी मामले में अतिरिक्त अभियुक्त की तलबी केवल तब हो सकती है, जब परिस्थितियॉ ऐसी हों कि अतिरिक्त अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया की मात्रा से अधिक हो। मात्र प्रथम दृष्टया की सीमा तक संलिप्तता की स्थिति में किसी भी प्रस्तावित अभियुक्त को अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 तलब नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में पीड़िता तथा वर्तमान अभियुक्त की आपसी दोस्ती होना तथा आपस में उनका मिलते जुलते रहना एवं फोन पर उनके द्वारा आपस में निरन्तर बातें करते रहने का साक्ष्य विद्यमान है। पीड़िता अभियुक्त के घर पर आती जाती रहती थी, इसका भी प्रमाण है। पीड़िता का यह आरोप कि अभियुक्त मोहित सोनी उसे चाय में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में शादी का झासा देकर बलात्कार करता रहा, पर इस स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। वह पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के बाद ही निश्चित किया जा सकेगा। इस स्तर पर जबकि अभी पत्रावली में अन्य साक्ष्य आने शेष हैं, इस बिन्दु पर कुछ भी निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है, लेकिन जहॉ तक प्रस्तावित अभियुक्तगण का प्रश्न है, उनमें से प्रस्तावित अभियुक्त रमेश वर्मा वर्तमान अभियुक्त का फूफा है तथा सचिन वर्मा जीजा है। प्रस्तावित अभियुक्त राजकुमार वर्तमान अभियुक्त का पिता है तथा मीना देवी उसकी माता है। प्रस्तावित अभियुक्त रमेश वर्मा बिधूना से 20 किलोमीटर दूर दिबियापुर में निवास करता है तथा सचिन वर्मा 100 किलोमीटर दूर जनपद फर्रूखाबाद में निवास करता है, वे अभियुक्त के परिवार के सदस्य नहीं है। फूफा और जीजा के द्वारा अभियुक्त को पीड़िता के साथ बलात्कार करने में सहयोग करने की बात खासकर तब जब वे बिधूना से काफी दूर स्थायी निवास कर रहे हों, प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। वर्तमान अभियुक्त के पिता राजकुमार तथा माता मीना देवी द्वारा भी अपने बेटे को पीड़िता के साथ बलात्कार करने में अपने बेटे का सहयोग किया जा रहा हो और पीड़िता को झांसा दिया जा रहा हो, यह तथ्य भी प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में निष्कर्षतः यह पाया जाता है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियोजन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 कागज सं0–18ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 कागज सं0–18ख उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निरस्त किया जाता है। आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते प्रतिपरीक्षा पी0डब्लू0–1 दिनांक 12.02.2020 को पेश हो।

दिनांक–28.01.2020

(राम नेत)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0–प्रथम,
औरैया